संख्या–174824/ XXVII(6) ई0–18373/2023

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. वित्त अधिकारी, भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।

वित्त अनुभाग–6, देहरादूनः दिनांक 15 दिसम्बर, 2023

विषय– प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) की व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था लागू किये जाने हेतु वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 105/XXVII(6)– एक–917/2013/2020 दिनांक 06.02.2020 के द्वारा राज्य में पेंशनभोगियों द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे "जीवन प्रमाण पत्र" की चालू व्यवस्था के साथ–साथ विकल्प के रूप में "ई–जीवन प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था को समानान्तर रूप से लागू की गयी है।

2–पेंशनरों द्वारा अपने वार्षिक सत्यापन हेतु जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की उक्त निर्धारित प्रक्रिया को अधिक सरल, प्रभावशाली एवं सुविधापूर्ण बनाते हुए UIDAI द्वारा विकसित Aadhar face RD app का प्रयोग करते हुए face authentication के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1. - डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) को जनरेट करने हेतु पेंशन मास्टर में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के आधार संख्या अपडेट होने आवश्यक है। आधार संख्या अपडेट करने हेतु पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्रथम बार अपने सम्बन्धित कोषागार में पेंशन प्राधिकार पत्र (पी.पी.ओ.), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूलप्रति तथा उनकी छायाप्रतियां लेकर उपस्थित होना होगा। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा उपर्युक्त कार्यवाही का प्रयोग करते हुए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) जीवन प्रमाण एप्लीकेशन के माध्यम से जनरेट किया गया है, उन्हें अब कोषागार में उपस्थित होने की अनिवार्यता नहीं होगी।
2. - पेंशनर भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके आधार संख्या कोषागार में पंजीकृत हो चुके हैं। इस हेतु पेंशनर अपने जी.आर.डी. सख्या का प्रयोग करते हुए आई.एफ.एम.एस. पोर्टल में लॉगिन कर अपनी प्रोफाईल में आधार नम्बर देख सकते हैं। यदि आधार संख्या पेंशनर के प्रोफाईल में उपलब्ध नहीं है तो पेंशनर को पेंशन प्राधिकार पत्र (पी.पी.ओ.), आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की मूलप्रति तथा उनकी छायाप्रतियां लेकर अपने नजदीकी कोषागार में उपस्थित होकर अपने आधार संख्या पंजीकृत करायेंगे।
3. - कोषागार स्तर पर सम्बन्धित पेंशनर का जी.आर.डी. नम्बर का प्रयोग करते हुए पेंशन मास्टर

खोला जायेगा एवं उसमें आधार नम्बर/मोबाईल नम्बर इत्यादि को रक्षित कर वांछित अभिलेख अपलोड करते हुए तीनों (ऑपरेटर, सुपरवाईजर, ऑफिसर) स्तर से स्वीकृत किया जायेगा।

4. - पेंशनर द्वारा Google Play Store पर जाकर जीवन प्रमाण एवं Aadhar face RD app इन्सटॉल किया जायेगा। इस हेतु पेंशनर के पास अपनी ई–मेल आई.डी होनी आवश्यक है।

5. - जीवन प्रमाण एप का प्रयोग करते हुए अपने चेहरे को मोबाईल फोन की सहायता से स्कैन करते हुए ऑपरेटर के रूप में स्वयं को पंजीकृत किया जायेगा।

6. - प्रथम बार डिजिटल जीवन प्रमाण हेतु पंजीकृत हो जाने के उपरान्त पेंशनरों को भविष्य में जीवन प्रमाण पत्र देने हेतु कोषागर में उपस्थित होने की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी।

7. - जो पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर कोषागार द्वारा www.jeevanpramaan.gov.in में पंजीकृत हो जायेंगे, वे भविष्य में जीवन प्रमाण पत्र स्मार्ट फोन/टेबलेट/विन्डोज कम्प्यूटर पर एप्लीकेशन www.jeevanpramaan.gov.in से डाउनलोड कर फिंगरप्रिंट स्कैनर/आधार फेस आर.डी. एप (Aadhar face RD app) का प्रयोग करते हुए घर से भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे। इस हेतु वे नजदीकी जीवन प्रमाण केन्द्र/नागरिक सुविधा केन्द्र में भी सम्पर्क कर सकते हैं, जिसकी सूची www.jeevanpramaan.gov. in वेबसाइट के locate a center link में दी गयी है।

8. - उक्त प्रक्रियानुसार पेंशनर का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक जमा होने के फलस्वरूप जीवन प्रमाण वेबसाईट द्वारा SFTP सर्वर के माध्यम से आईएफएमएस सर्वर को उपलब्ध हो जायेगा एवं उपलब्ध डाटा के आधार पर वित्तीय डाटा सेण्टर द्वारा कोषागार स्तर पर एक MIS रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

9. - कोषागार द्वारा उक्त MIS रिपोर्ट की जांच कोषागार स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों/डाटा से करते हुए पेंशनरों के डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किये जायेंगे, जिसकी सूचना SMS के माध्यम से पेंशनरों को दी जायेगी। उक्त रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की भिन्नता के समाधान हेतु आई.एफ.एम.एस. के अन्तर्गत सपोर्ट विकल्प के माध्यम से निदेशक कोषागार को अवगत कराया जायेगा।

10. - डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) नवीन व्यवस्था वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी। नवीन व्यवस्था को लागू किये जाने से सम्बन्धित किसी भी प्रक्रियात्मक जानकारी हेतु www.jeevanpramaan.gov.in पर जाकर अथवा सम्बन्धित कोषागार से सम्पर्क किया जा सकता है।

11. - जो पेंशनर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके द्वारा पुनर्विवाह नहीं किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा।

3– उक्त व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक कोषागार अपने जनपदों में इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करेंगे तथा पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के विभिन्न संगठनों को उक्त नवीनतम ऑनलाईन व्यवस्था से अवगत करायेंगे एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अपना ''डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र'' ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्मय से प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रोत्साहित एवं सकारात्मक सहयोग प्रदान करेंगे। उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 13-12-2023 16:19:11

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव।

824/2023

संख्या–174824/XXVII(6)/ई 18373/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. - सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. - मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. - महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, देहरादून।
5. - महालेखाकार, ऑडिट, वैभव पैलेस, देहरादून।
6. - समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. - आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ, उत्तराखण्ड।
8. - मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. - मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर।
10. - मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर/देहरादून।
11. - क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, देहरादून।
12. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. - निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. - समस्त वित्त नियंत्रक/आहरण–वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. - राज्य एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
16. - गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अपर मुख्य सचिव।